भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 465

जिसका उत्तर 06.02.2025 को दिया जाना है

गड्ढों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाएं

465. श्री अमर शरदराव काले:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्री संजय दिना पाटील:
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर गड्ढों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा प्रदान किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर गड्ढों की पहचान करने तथा उनकी तत्काल मरम्मत करने के लिए कोई निगरानी तंत्र विकसित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए आवंटित और व्यय की गई धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त अवधि के दौरान अप्रयुक्त धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) सड़क दुर्घटना के आंकड़े सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के पुलिस विभागों से कैलेंडर वर्ष के आधार पर एकत्र किए जाते हैं। भारत में सभी श्रेणियों की सड़कों पर गड्ढों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का डेटा अनुलग्नक-I में संलग्न है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर गड्ढों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में कोई अलग से डेटा नहीं रखा जाता है। हालाँकि, 32.9% दुर्घटनाएँ राष्ट्रीय राजमार्गों पर होती हैं जबकि बाकी अन्य सड़कों पर होती हैं।

(ग) जी, हां, विस्तृत विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(घ) से (छ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा समय-समय पर राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति का आकलन किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात की स्थिति में बनाए रखने के लिए तदनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनुरक्षण और मरम्मत (एम एंड आर) का कार्य समय-समय पर किए जाते हैं।

कार्यान्वयन, संचालन, अनुरक्षण और अंतरण (ओएमटी) रियायतों/ संचालन और अनुरक्षण (ओएंडएम) संविदाओ के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों का एमएंडआर, दोष देयता अवधि (डीएलपी)/रियायती अवधि के अंत तक संबंधित कंसेसनायर /संविदाकरो की जिम्मेदारी है। टीओटी (टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर) और इनविट (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों का एमएंडआर, रियायत अवधि के अंत तक कंसेसनायर की जिम्मेदारी है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के शेष अनुखंडों/खंडों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए प्राथमिकता दी गई है और अन्य बातों के साथ-साथ निष्पादन आधारित अनुरक्षण संविदा (पीबीएमसी) या अल्पकालिक अनुरक्षण संविदा (एसटीएमसी) के तहत जवाबदेह अनुरक्षण एजेंसी के माध्यम से सभी राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के एमएंडआर को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के एमएंडआर पर आवंटित धन और किए गए व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	आवंटन (करोड़ रुपए में)	व्यय (करोड़ रूपये में)
2021-22	5,214	5,135
2022-23	6,510	6,278
2023-24	6,581	6,523

अनुलग्नक -I

गड्ढों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में श्री अमर शरदराव काले, प्रोफेसर वर्षा एकनाथ गायकवाड़, श्री मोहिते पाटिल धैर्यशील राजसिंह, डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे, श्री संजय दीना पाटिल, श्री बजरंग मनोहर सोनवणे, श्री नीलेश ज्ञानदेव लंके, श्रीमती सुप्रिया सुले और श्री भास्कर मुरलीधर भगारे द्वारा दिनांक 06.02.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 465 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

2020 से 2022 के दौरान भारत में सभी श्रेणी की सड़कों पर गड्ढों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सड़क दुर्घटनाओं की संख्या		
		2020	2021	2022
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	13	25	20
3	असम	194	187	319
4	बिहार	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	5	15	40
6	गोवा	0	0	0
7	गुजरात	6	8	0
8	हरियाणा	183	102	130
9	हिमाचल प्रदेश	0	20	2
10	झारखंड	129	97	56
11	कर्नाटक	36	67	55
12	केरल	25	16	25
13	मध्य प्रदेश	439	711	759
14	महाराष्ट्र	61	33	4
15	मणिपुर	2	6	5
16	मेघालय	0	0	1
17	मिजोरम	1	0	2
18	नगालैंड	57	15	12
19	उड़ीसा	174	213	158
20	पंजाब	102	114	84
21	राजस्थान	120	69	98
22	सिक्किम	0	0	1
23	तमिलनाडु	385	459	446
24	तेलंगाना	58	87	153

25	त्रिपुरा	0	0	1
26	उत्तराखंड	4	0	0
27	उत्तर प्रदेश।	1447	1254	1986
28	पश्चिम बंगाल	63	64	44
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	1
31	डी एंड एन हवेली	1	2	7
32	दमन और दीव			
33	दिल्ली	55	56	28
34	जम्मू और कश्मीर	4	4	7
35	लद्दाख	ना	0	0
36	लक्षद्वीप	0	0	0
37	पुडुचेरी	0	1	2
कुल		**3564**	**3625**	**4446**

टिप्पणी:

1. एन ए - उपलब्ध नहीं है.
2. दमन और दीव का डेटा 2020 से दादरा और नगर हवेली में शामिल किया गया है
3. पश्चिम बंगाल के कैलेंडर वर्ष 2015 से 2017, 2019 और 2020 तथा तमिलनाडु के कैलेंडर वर्ष 2017 से 2020 के सड़क दुर्घटना आंकड़ों का संबंधित राज्यों द्वारा मिलान किया गया है।

अनुलग्नक –II

गड्ढों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में श्री अमर शरदराव काले, प्रोफेसर वर्षा एकनाथ गायकवाड़, श्री मोहिते पाटिल धैर्यशील राजसिंह, डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे, श्री संजय दीना पाटिल, श्री बजरंग मनोहर सोनवणे, श्री नीलेश ज्ञानदेव लंके, श्रीमती सुप्रिया सुले और श्री भास्कर मुरलीधर भगारे द्वारा दिनांक 06.02.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 465 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

(राशि रु . में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 22-23	वित्तीय वर्ष 23-24	वित्तीय वर्ष 24-25
आंध्र प्रदेश	0	0	3750000
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
असम	0	0	600000
बिहार	0	407750000	413350000
छत्तीसगढ	0	200000	4550000
गोवा	0	0	0
गुजरात	0	2050000	34350000
हरियाणा	0	200000	3400000
हिमाचल प्रदेश	0	0	550000
झारखंड	16400000	84000000	44900000
कर्नाटक	0	600000	9700000
केरल	0	200000	1100000
मध्य प्रदेश	0	4850000	15200000
महाराष्ट्र	0	0	7700000
मणिपुर	0	0	0
मेघालय	0	0	0
मिजोरम	0	0	0
नगालैंड	0	0	50000
ओडिशा	0	0	2850000
पंजाब	0	200000	3700000
राजस्थान	1000000	4350000	8300000
सिक्किम	0	0	0
तमिलनाडु	0	0	5450000

तेलंगाना	0	0	300000
त्रिपुरा	0	0	0
उत्तर प्रदेश	0	0	14700000
उत्तराखंड	0	0	3500000
पश्चिम बंगाल	0	200000	650000
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	0	0	0
चंडीगढ़	0	0	0
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	200000
दिल्ली	0	0	50000
जम्मू और कश्मीर	0	0	0
लद्दाख	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0
पुडुचेरी	0	0	350000

*****